



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072020-220543
CG-DL-E-15072020-220543

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2075]
No. 2075]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2020/आषाढ 24, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2020/ASADHA 24, 1942

okf.kT; ,o m|kx e=ky;

%okf.kT; foHkx%

%fon:'k 0;kikj egkfun:'kky;%

vf/k l|puk

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2020

I- 19@2015&2020

fo"K;% vkbVh l h %,p, l 2017 vu|lph&1 %vk;kr uhfr% d v;/k; 84 d vrx'r enk dh vk;kr uhfr vkj uhfrxr 'krk e l'kk/kuA

dk-vk- 2352%v%—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 84 के अंतर्गत मदों की आयात नीति और आयात नीतिगत शर्तों में संशोधन करती है।

,fDte dkM	en o.ku	or'eku uhfr	l'kkkf/kr uhfr	or'eku uhfrxr 'kr	l'kkkf/kr uhfrxr 'kr
84328020	रोटरी टिलर	मुक्त	प्रतिबंधित	—	इस अध्याय की नीतिगत शर्त 3 के अधीन
84329090	अन्य	मुक्त	प्रतिबंधित	—	इस अध्याय की नीतिगत शर्त 3 के अधीन

2. आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 84 में एक नई नीतिगत शर्त सं. 3 को निम्नानुसार जोड़ा जा रहा है:-

3. **ikoj fvyI vkj bld ?kVdk gr vk;kr uhfr**

क. एचएस कोड 84328020 के अंतर्गत आईएस: 13539-2018 में यथा परिभाषित पावर टिलर्स को छोड़कर सभी मदें आयात हेतु मुक्त हैं।

ख. एचएस कोड 84329090 के अंतर्गत आईएस: 13539-2018 में यथा परिभाषित पावर टिलर्स के ईंजन, ट्रांसमिशन, चेसिस और रोटारिटर वाले भाग को छोड़कर आयात सभी मदों के लिए 'मुक्त' है।

ग. आईएस: 13539-2018 के अनुसार पावर टिलर्स की परिभाषा: पावर टिलर मृदा को तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक कृषि मशीनरी है जिसका एक सिंगल एक्सल होता है जिसमें फील्ड आपरेशन के दौरान चलने की दिशा और इसका नियंत्रण आपरेटर द्वारा प्रचालित किया जाता है। यह सेल्फ-पावर्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड है और कल्टीवेटर, हेरो, हल, विभिन्न सीडर, हार्वेस्टर्स और ऐसे अन्य उपयुक्त संयोजकों को खींच सकता है। उपस्कर पीछे चल सकता है अथवा राइडिंग संयोजक किस्म का हो सकता है और ट्रेलर के साथ जोड़े जाने के लिए सक्षम होना चाहिए जिसे एक टन से अधिक वजन के सामान की दुलाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। एक ट्रेलर के साथ जोड़े जाने पर पावर टिलर की अधिकतम गति 22 कि.मी. प्रति घण्टा से अधिक नहीं होगी। पावर टिलर ईंजन का न्यूनतम रेटेड होर्स पावर आउटपुट 8 बीएचपी (ब्रेक होर्स पावर) से कम नहीं होगा।

2- **vf/kI puk dk iHkko** पावर टिलर्स और इसके घटकों की आयात नीति को 'मुक्त' से संशोधित कर 'प्रतिबंधित' किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01/89/180/48/एम-13/पीसी-2(क)/ई-5928]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं

पदेन अपर सचिव

fvi.kk प्रधान अधिसूचना सं. 36/2015-2020 दिनांक 17 जनवरी, 2017 का.आ. 172(अ) के तहत भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 17 जनवरी, 2017 को प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2020

No. 19/2015-2020

Subject: Amendment in import policy and policy conditions of items under Chapter 84 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy).

S.O. 2352(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy and import policy conditions of items under Chapter 84 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy).

Exim Code	Item Description	Present Policy	Revised Policy	Present Policy Condition	Revised Policy Condition
8432 8020	Rotary tiller	Free	Restricted	-	Subject to Policy Condition 3 of this Chapter
8432 9090	Other	Free	Restricted	-	Subject to Policy Condition 3 of this Chapter

2. A new Policy Condition No. 3 is being added in Chapter 84 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy) as follows:

3. Import Policy for Power Tillers and its components:

- a. Under HS code 8432 8020, Import is 'Free' for all items except Power Tillers as defined in IS: 13539-2018.
- b. Under HS code 8432 9090, Import is 'Free' for all items except for Engine, Transmission, Chassis and Rotavator forming parts of Power Tillers as defined in IS: 13539-2018.
- c. Definition of Power Tillers as per IS:13539-2018: Power Tiller is an agricultural machinery used for soil preparation having a single axle, in which the direction of travel and its control during field operation is performed by the operator. It is self-powered, self-propelled, and can pull cultivator, harrow, plough, various seeder, harvester and such other suitable attachments. The equipment may be walk behind or riding attachment type and should be capable of being coupled to a trailer that can be used for transportation of goods of not less than 1 ton capacity. The maximum speed of the power tiller when coupled to a trailer shall not exceed 22 kmph. The minimum rated horse power output of the power tiller engine shall not be less than 8 bhp (Brake Horse Power).

Effect of the Notification: Import Policy of Power Tillers and its components is amended from 'Free' to 'Restricted'.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F.No. 01/89/180/48/AM-13/PC-2[A]/E-5928]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade &

Ex- officio Addl. Secy.

Note: The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 172 (E), dated the 17th January, 2017.